गुरू घासीदास विश्वविद्यालय, बिलासपुर (छ.ग.)

विद्यापरिषद् की स्थायी समिति की बैठक दिनॉक 11.01.2017 का कार्यविवरण

विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनॉक 11.01.2017 को अपरान्ह 12.30 बजे प्रशासनिक भवन के सभाकक्ष में संपन्न हुई । बैठक में उपस्थिति निम्नानुसार रही :–

01	प्रो0 अंजिला गुप्ता, कुलपति	अध्यक्षा
02	प्रो0 जे.एस. दांगी	सदस्य
03	प्रो0 ए.एस. रणदिवे	सदस्य
04	प्रो0 अनुपमा सक्सेना	सदस्य
05	प्रो0 पी.के. बाजपेयी	सदस्य
06	प्रो0 विशन सिंह राठौड़	सदस्य
07	प्रो0 मुकेश कुमार सिंह	सदस्य
08	प्रो0 मनीष कुमार श्रीवास्तव	सदस्य
09	डॉ0 रेणु भट्ट	सदस्य
10	डॉ0 रश्मि अग्रवाल	सदस्य
11	डॉ. एम.सी. राव	सदस्य
12	डॉ0 राकेश पाण्डेय	सदस्य
13	प्रो0 बी.एन. तिवारी (कार्यवाहक)	सचिव

निम्नलिखित विषयों पर चर्चा उपरांत निम्नानुसार निर्णय लिये गये :–

विषय क्र. 01 विद्यापरिषद की स्थायी समिति की बैठक दिनॉक 27–12–2016 के कार्यवृत्त की सम्पुष्टि पर विचार करना।

विद्यापरिषद की स्थायी समिति द्वारा पूर्व बैठकों दिनॉक 27–12–2016 के कार्यवृत्तों की संपुष्टि की गई।

पुष्टि के दौरान विषय क्र. 02 के संदर्भ में प्रशासन शाखा द्वारा यह जानकारी प्रस्तुत की गई कि डॉ. सीमा राय से शोध पत्र प्रकाशन के संबंध में उनका पक्ष पूछा गया था। डॉ. सीमा राय ने पत्र दिनांक 09.01.2017 के माध्यम से अपना पक्ष प्रस्तुत किया है।

पक्ष में लिखे जानकारियों को सुनने के बाद समिति ने निर्णय लिया कि प्रकरण की तथ्यात्मक जांच हेतु निम्नानुसार समिति गठित की जाये –

1. डॉ. रेणु भट्ट
2. डॉ. एम.के. सिंह
3. डॉ. ए.एस रणदिवे
4. श्री टी.पी. सिंह, सहा. कुलसचिव प्रस्तुतकर्ता अधिकारी

यह भी निर्णय लिया गया उपरोक्तानुसार समिति तथ्यों की जांच कर 07 दिवस के भीतर स्पष्ट अनुशंसा प्रदान करेगी।

चर्चा के दौरान विषय क्र. 05 के संबंध में शोध निर्देशक मान्यता संबंधी प्रावधानों में सुधार करने संबंधी प्रस्ताव भी सदस्यों द्वारा रखे गये जिस पर निर्णय लिया गया कि शोध विनियम प्रारूपण समिति ऐसे प्रस्तावों पर विचार करें।

विषय क्र. 02 छात्र – किरणपाल सिंह चावला, एम.बी.ए. के परीक्षा परिणाम घोषित करने संबंधी।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया गया कि परिणाम संबंधी पूर्व निर्णय को यथावत रखा जाये।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि पूरे प्रकरण की निम्न बिंदुओं पर पुनः जांच करायी जाये –

1. श्री किरण पाल सिंह चावला का 15 वर्ष के बाद पंजीयन कैसे हुआ तथा किनके द्वारा कराया गया?
2. बिना स्थानांतरण प्रमाण पत्र, माइग्रेशन के तत्समय उन्हें पाठ्यक्रम में प्रवेश क्यों दिया तथा किसके द्वारा दिया गया?
3. बिना पूर्व पाठ्यक्रम पूर्ण किये आगे की परीक्षाओं में क्यों बैठाया गया तथा किसके द्वारा बैठाया गया?
4. किन–किन शिक्षकों द्वारा संबंधित पाठ्यक्रमों के अध्यापन का कार्य किया गया था? क्या विभाग के शिक्षकों द्वारा तत्समय परीक्षा में बैठे छात्रों के सेशनल के अंक परीक्षा /गोपनीय में जमा कर दिया गया था?

उपरोक्त बिंदुओं के साथ–साथ संपूर्ण प्रकरण की जांच हेतु समिति गठित करने हेतु विद्यापरिषद् के स्थायी समिति की अध्यक्षा अधिकृत रहेंगी।

विषय क्र. 03 बी.टेक एवं एम.टेक में JoSSA/CSAB एवं CCMT द्वारा अंतिम चक्र प्रवेश पश्चात् रिक्त सीटों पर Counseling द्वारा प्रवेश देने संबंधी विचार करना।

स्थायी समिति ने यह निर्णय लिया बी.टेक एवं एम.टेक के पाठ्यक्रमों के लिए प्रौद्योगिकी संस्थान द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव पर समिति की सैद्धांतिक सहमति है। परंतु प्रवेश की प्रक्रिया प्रस्तावानुसार अपनाये जाने के लिए प्रभावी अध्यादेशों में संशोधन की आवश्यकता है। अतः पहले अध्यादेशों में संशोधन करा लिया जाये तदोपरांत प्रस्तावानुसार कार्यवाही की जावे।

समिति ने यह भी निर्णय लिया कि अध्यादेश प्रारूपण समिति को कई अध्यादेशों का प्रारूपण करना है एवं कार्य में विलंब हो रहा है। अतः अध्यादेशों के प्रारूपण हेतु यह व्यवस्था की जाती है कि विश्वविद्यालय के विभाग/अनुभाग अपनी आवश्यकताओं से संबंधित अध्यादेशों का प्रारूप तैयार करें तथा प्रारूपित आध्यादेश को समिति को प्रदान करें। अध्यादेश प्रारूपण समिति ऐसे अध्यादेशों का परीक्षण कर अध्यादेश के प्रारूप को विद्यापरिषद् अथवा कार्यपरिषद् के समक्ष रखे जाने हेतु अंतिम रूप प्रदान करेगी।

विषय क्र. 04 **अध्यक्ष की अनुमति से अन्य प्रकरण पर विचार करना।**

01 विभिन्न अध्ययनशालाओं के अंतर्गत नये विभाग खोले जाने संबंधी प्रस्ताव प्रस्तुत करने हेतु प्रपत्र निर्धारण के संबंध में यह निर्णय लिया गया कि कार्यपरिषद्, विद्यापरिषद् अथवा विद्यापरिषद् की स्थायी समिति से नये विभाग के सृजन संबंधी निर्णय लेने के उपरांत संबंधित अधिष्ठाता इस विषय के साथ प्रस्तावित प्रपत्र में ही विभाग की आवश्यकताओं युक्त प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे।

02 वाणिज्य विभाग के कतिपय छात्र/छात्राओं को Non-CBCS पाठ्यक्रम में जारी रखने संबंधी निर्णय दिनांक 10.11.2016 के अधीन कतिपय छात्र/छात्राओं को अध्यापन कराकर परीक्षा आयोजन किया जा रहा है। उक्त की सूचना प्राप्ति पर स्थायी समिति ने परीक्षा शाखा द्वारा, इस संबंध में कृत कार्यवाही संबंधी निर्णय की पुष्टि की।

03 फार्मेसी विभाग के शोधार्थी श्री अनंत कुमार पटेल द्वारा डॉ. व्ही.डी. रंगारी, आचार्य, फार्मेसी विभाग के विरूद्ध प्रस्तुत शिकायत पर यह निर्णय लिया गया कि शोधार्थियों के संबंध में उचित निर्णय लेने हेतु विभागीय शोध समिति सक्षम है। अतः प्रकरण विभागीय शोध समिति को ही अंतरित कर दिया जाये।

04 सहायक प्राध्यापक के पदों पर नियुक्ति हेतु प्राप्त आवेदन पत्रों के संवीक्षण मापदण्ड के प्रस्तुत प्रारूप पर विचार किया गया। विचारोपरांत संशोधन सुझाये गये, संशोधनोपरांत अनुमोदित मापदण्ड इस कार्यवृत्त के साथ संलग्न है।

उपस्थित सदस्यों एवं अध्यक्ष के प्रति धन्यवाद ज्ञापन के पश्चात बैठक संपन्न हुई।

कुलसचिव (कार्यवाहक)/सचिव **कुलपति/अध्यक्ष**

Scrutiny Criteria

The candidate will be short listed for the post of Assistant Professor on the basis of academic record and such performance as given in Appendix III table II(c) of UGC Regulations 2010. The Academic Performance and research/experience performance (Total 50 marks) will be evaluated on the basis of following parameters:-

Academic Performance (Total 25 marks) :

1. High School	: = Max. 2.5 Marks (Total percentage obtained divided by 40)
2. Higher Secondary	: = Max. 2.5 Marks (Total percentage obtained divided by 40)
3. Graduation	: = Max. 10 Marks (Total percentage obtained divided by 10)
4. Post Graduation	: = Max. 10 Marks (Total percentage obtained divided by 10)
Total	**: = 25 Marks**

Research and Experience Performance (Total 25 Marks)

1.	Candidates showing quality publications in international/ national peer reviewed indexed in recognized abstraction services journals and or other research publications having impact factor.	= Max. 10 Marks (Min. 1 Marks per research paper) Impact Factor(IF) : IF is more than 1 but less or equal to 3, per research paper 2 Marks IF is more than 3 but less or equal to 5, per research paper 3 Marks IF is above 5 then 5 marks per research paper
2.	International/ National Seminar/ Conference as sponsored by Government funded agencies	= Max. 9 Marks (1.5 Marks per seminar/conference proceeding full length paper and 1 mark per international seminar/conference & 0.5 marks per national seminar/conference).
3.	Experience (Teaching/research/subject expert)	=Max 5 marks (0.5 marks per six months experience in Government University/college/Intitutions/Bodies
3.	National award (awarded by Govt. agencies/ autonomous bodies)	= 1 Mark
	Total	25

11.1.17

11/1/17